# न्यायालयउपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–232/2021

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2021/379

| प्रार्थीनी | बनाम | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| कमलादेवी पत्नि आम्बाराम<br>जाति भील निवासी खारड़ा भारतसिंह<br>तहसील गिड़ा हाल कलावा तहसील पचपदरा | | राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955**

उपस्थिति–

1.श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता प्रार्थीनी

2.विप्रार्थी अनुपस्थित।

**:आदेश :**

दिनांक– 29/07/2025

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी कमलादेवी पत्नि आम्बाराम जाति भील ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 916/33 रकबा 18.00 बीघा मौजा कलावा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी का खसरा संख्या 533/35 में से परिशिष्ट अ में दर्शित मार्क ए से सी बरंग लाल 30 फीट चौड़ा रास्ताकायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीनी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने जवाब पेश नही कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभय–पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान प्रार्थीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 633/35 में से 30 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीनी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीनी को आपति नहीं है। प्रार्थीनी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनी की खातेदारी खसरा संख्या 916/33 के लिए विप्रार्थी की खसरा संख्या 533/35 में से बरंग हरा में दर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है,जिसे साबित करने का भार प्रार्थीनी पक्ष पर है।

5. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है,द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्राथीर्नी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। लेकिन प्रार्थीनी की ओर से मौका रिपोर्ट के अलावा ऐसा कोई अन्य दस्तोवजी साक्ष्य पेश नही किया गया,जिससे साबित होता हो कि प्रार्थीनी को रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता हो। प्रार्थीनी की ओर खसरा संख्या 533/35 मे से रास्ता चाहे जाने पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा उक्त सरकारी खसरे के बीचो बीच रास्ता बरंग हरा से दर्शित प्रस्तावित किया है,जो कि सरकारी खसरान का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खुर्द बुर्द होनी की पूरी संभावना है,क्योकि उक्त खसरान के बीचो बीच रास्ता दिए जाने से खसरान के दो टुकड़े होगे तथा भविष्य मे सरकारी प्रयोजनार्थ योजनाओ के लिए भूमि की उपयोगिता कम होगी। प्रार्थीनी रास्ते के लिए सरकारी खसरान के अलावा अन्य निजी खातेदारी खसरान में भी रास्ता मांग कर सकती थी,लेकिन उन द्वारा ऐसा नही किया गया,बल्कि निजी खातेदारी खसरान को छोड़ते हुए उन द्वारा सरकारी खसरान से रास्ता दिए जाने का अनुतोष चाहा गया,जो कि सरकारी खसरान मे रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसके अलावा प्रार्थीनी अधिवक्ता खातेदारी जोत तक पंहुच का वैकल्पिक रास्ता बाबत भी कोई संतोषप्रद कारण नही बता पाए। जबकि भूमिधारी तहसीलदार का उत्तरदायित्व बनता है कि राज्य सरकार की भूमियो मे रास्ता समग्र जांच करते हुए बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए,जो कि हस्तगत प्रकरण मे नही किया गया है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थीनी केवलमात्र अपनी सुविधा के लिए रास्ता की मांग कर रहा है,जो कि कानून में निहित प्रावधानो के तहत प्रार्थीनी को अपनी सुविधा के लिए रास्ता दिया नहीं जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीनी यह सिद्ध नहीं कर पाई है,कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। साथ ही प्रार्थीनी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वैकल्पिक साधन का अभाव हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीनी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

## आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
29/07/25

आदेश आज दिनांक 29.7.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
29/07/25